संख्या-213/2021/797/69-1-2021-06(म0ब0-83)/2021

प्रेषक,

डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2021**

विषय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत 02 जनपदों की पृथक-पृथक निकायों की 10 परियोजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4515, दिनांक 08.03.2021, पत्र संख्या-4516 दिनांक 08.03.2021 एवं पत्र संख्या-4339 दिनांक 02.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत**" वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से जनपद-आगरा की 08 परियोजनाओं एवं जनपद-रायबरेली की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त 02 जनपदों की पृथक-पृथक नगर निकायों की विभिन्न अल्पविकसित व मलिन बस्तियों में सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 10 परियोजनाओं, जिनका विस्तृत विवरण संलग्न तालिका में अंकित है, हेतु कुल **रू0 446.80 लाख** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 223.40 लाख (रूपये दो करोड़ तेईस लाख चालीस हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनश्चित करेंगे।
15. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2022 तक व्यय हो सके।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीय कृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
21. स्वीकृति धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकता अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
22. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-21 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **''2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-9-2410/दस-2021-2022, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या-213/2021/797(1)/69-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जनपद-आगरा एवं रायबरेली।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-213/2021/797(2)/69-1-2021-06(म0ब0-83)/2021, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	स्वीकृति की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि। (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	न0नि0, आगरा	मलिन बस्ती नगला लट्टूरी नगर शान्ती नगर, देवरी रोड में चौकीलाल से संजय, दोजीराम से प्रेम सिंह, प्रेम सिंह से ज्योति, प्रेम सिंह से श्रीनिवास, श्रीनिवास से बटेशवरी, श्रीनिवास से मन्जू, श्रीनिवास से पातीराम, पातीराम से राजकुमार, पातीराम से राजेन्द्र, पातीराम से हरी सिंह, हरि सिंह से संजय, हरी सिंह प्रातम, गिरवर से गजाधर एवं मुकेश सविता से सुरेश तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	51.27	25.635
2	तदैव	तदैव	मलिन बस्ती राजीव नगर गौबरचौकी ताजगंज में श्री प्रभुदयाल से मोबाईल टावर, नरायन से कल्ला, भगवानदास से हिम्मत सिंह, मोबाईल टावर से पप्पू, बनवारी से चम्पाराम, पप्पू से बच्चू सिंह, बच्चू सिंह से अलवर बाबा, अलवर बाबा से के0पी0 सिंह, के0पी0 सिंह से टिल्लू, टिल्लू से जैकी, टिल्लू से सुरेश, अलवर बाबा से मनोज, मनोज से मुकेश नाई, विजेन्द्र से अजय, विक्रम से राम खिलाड़ी, विजय सिंह से सन्द्रपाल, विशम्भर दर्जा से बन्टी, जगदीश से भीम सैन, लाखन से राजू, दीपक से राजन एवं करन सिंह से मंगल सिंह तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	87.13	43.565
3	तदैव	तदैव	मलिन बस्ती ताल फिरोज खॉ में बेनी से सारनाथ सिंह, सारनाथ से कमबरा, सारनाथ से सत्यवीर एवं ब्रान्च में नाली व सी0सी0 सड़का का निर्माण कार्य।	23.11	11.555
4	तदैव	तदैव	मलिन बस्ती नई आबादी चावली से सरोज	32.83	16.415

http://shasanadesh.up.gov.in

			से एन0पी0 सिंह, राकेश से सुरेश, देवेन्द्र से प्रताप, लाखन सिंह से किशन सिंह भदोरिया, नवल किशोर से पूरन सिंह, पूरन सिंह से ओमकार एवं मूलचरन से मौनटी में नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 55 मलिन बस्ती नगला बिहारी में रेलवे पुल से नेकराम एवं माता मंदिर से सुनील निशाद तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	47.45	23.725
6	तदैव	तदैव	मलिन बस्ती टेढी बगिया सौ फुटा रोड में श्री बधेल से रिन्कू चौहान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.46	3.23
7	तदैव	तदैव	मलिन बस्ती मोहन नगर नई आबादी सुशील नगर में श्री चन्द्रशेखर स्कूल से ओम प्रकाश, ओम प्रकाश से कुशलपाल, कुशलपाल से हरवीर, हरवीर से राजेश, लाल बिल्डिंग दुकान से भूपेन्द्र, भूपेन्द्र से बबलू तोमर, बबलू तोमर से रामरतन, रामरतन से पूरन, भूपेन्द्र से पूरन, पूरन से लक्ष्मण सिंह, जगदीश से महेन्द्र, महेन्द्र से हरी प्रसाद, हरी प्रसाद से दीपक जैन, शहीद से राजवीर, लखपत सिंह से मुन्ना एवं दीपचन्द से राजू निशाद तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	89.72	44.86
8	तदैव	तदैव	मलिन बस्ती टेढ़ी बगिया सौ फुटा रोड कांशीराम चौराहा में गणेश फास्ट से किशनवीर, किशनवीर से जैन, जैन से गुप्ता जी एवं गुप्ता जी से राम प्रताप सिंह (पार्क) में नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	62.36	31.18
9	रायबरेली	न0पं0, परशदेपुर	अमेठी जायस मार्ग से साधन सहकारी समिति होते हुए जान्हवी शरण के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण का निर्माण कार्य।	21.19	10.595
10	तदैव	तदैव	परशदेपुर में ज्ञान भारती स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क पर रामकिशुन के घर से ज्ञान भारती स्कूल तक रबरमोल्ड	25.28	12.64

http://shasanadesh.up.gov.in

			इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण का निर्माण कार्य।		
				446.80	223.40

(रूपये दो करोड़ तेईस लाख चालीस हजार मात्र)

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in